Universalising Primary Education Programmes in the Country

1553. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DE-VELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that in Kerala and Tamil Nadu, most of the schools are situated within less than 2 kilometres while in other States, the Schools are at a distance of over 2 kilometres:
- (b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor;
- (c) whether Government have formulated any microplanning in these districts in view of the need for more schools and non-formal educational centres; and
- (d) if so, the details thereof; and what effective measures Government propose to achieve the target fixed under the universalisation of primary education programme in the country?

THE DEPUTY MINISTER THE MIN-ISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVEL-OPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) According to Fifth All India Educational Survey conducted by NCERT with reference date as September 30, 1986, primary schooling facility is available in rural areas within 2 km. distance for more than 95% of the population in the country. Position of schooling facilities varies from state to state. The survey reports are available in the Parliament House Library.

School Education facilities are to be provided by state governments from their own resources. Central Government has extended financial support for improvement of educational facilities through the centrally sponsored schemes of Operation Blackboard. Non-Formal Education and Teacher Education. Achievements of these schemes upto 1993-94 are given in the Annual Administrative Reports of the Department of Education.

(c) and (d) in pursuance of the recommendations in the National Policy on Education (NPE)-1986, regarding adoption of an array of meticulously formulated strategies based on microplanning, many state governments have prepared district-specific plans for primary education.

कापी राइट बोर्ड

120

1554. श्री इशि दस्त यादव : क्या संसाधन विकास मंत्री यह बताने की करंगी कि:

- (क) कापी राइट बोर्ड के अध्यक्ष कब सेवा-निवृत्त हुए तथा उदत बोर्ड के अन्य सदस्य विस-किस तारीख को सेवानिवृत्त हुए और उनके नाम क्या हैं :
- (ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी नियान्ति रिक्त पदीं पर की गयी तथा उनकी नियुक्तियों की तिथियां क्या-क्या हैं।
- (ग) क्या ये पद अभी भी रिक्त हैं. यदि हां, तो कोई नियक्ति न करने के क्या कारण हैं और ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी ;
- (घ) अभियोग पत्रों की संख्या कितनी हैं जिन्हें वर्ष 1990-91 में कापी राइट अधिनियम 1957 की धारा 19ए के अधीन कापी राइट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा एंसे मामलों की संख्या कितनी हैं जिन्हें निपटा दिया गया है एवं एसे मामलों की संख्या कितनी हैं जो अभी तक लंबित पड़े हैं और कितने समय से अनिर्णित पड़े हें. तत्संबंधी ब्योंरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं:
- (ङ) हर वर्ष केन्द्रीय सरकार कापी राइट्स आफिस और बोर्ड पर कुल कितना न्यय करती हैं, 25 नवंबर, 1992 को भोषाल में आयोजित कापी राइट बोर्ड की बैठक पर कुल कितना व्यय किया गया और एंसे मामलों की संख्या कितनी हैं जिन्हें उवत बेंठक में निर्णय करके निषदाया गया १

मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (क, मारी शंलजा) : (क) 31 मार्च, 1994 को कॉपीराइट बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही कॉपीराइट बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी उसी तारीख से समाप्त हो गया ह"। 26 अप्रेंल, 1990 के राजपत्र अधि-स्चना की सं. एस. ओ. 371(ई.) के माध्यम से कॉपीराइट बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से किया गया था:

 श्री पी. बी. बेंकटस, ब्रह्मिणयम, भ्तपूर्व विधि सचिव, भारत सरकार

-अध्यक्ष

संयुक्त सचिव,
कॉपीराइट प्रभारी,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग

--पदंन सदस्य

 संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)
भारत सरकार

-पद्रेन सदस्य

विधि सचिव,
तीमलनाड, सरकार

- पद्रेन सदस्य

विधि सचिव,
बिहार सरकार

-पद्रंन सदस्य

6. विधि सचिव, केरल सरकार

-पद्रेन सदस्य

7. विधि सचिव विधि एवं संसदीय कार्य विभाग मेवालय सरकार

-पदेन सदस्य

सचिव
विधि विभाग
गुजरान सरकार

-पद्न सदस्य

विधि सचिव
जम्मू एवं कश्मीर सरकार

-पद्मन सदस्य

(ख) ऑर (ग) कॉपीराइट बोर्ड का अभी पुनर्गठन किया जाना हैं। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनयम, 1994 के द्वारा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के संशोधन के परिणामस्वरूप कॉपीराइट नियमावली तेंयार की जा रही हैं और इसके शीघ्र बाद कॉपीराइट बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा।

(घ) वर्ष 1990-91 में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 19 क के अन्तर्गत कॉपीराइट बोर्ड के पास दो याचिकाएं दायर की गई थी और दोनों याचिकाओं पर निर्णय दे दिया गया—एक सितम्बर, 1990 में और दूसरा अक्तूबर, 1991 में।

धारा 19 क के अन्तर्गत कुल 11 याचिकाएं लीम्बत हैं जिन पर बोर्ड को निर्णय देना हैं। इन याचिकाओं के ब्योरे तथा इनके लिम्बत होने के कारण संतरन विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)।

(ङ) कॉपीराइट कार्यालय के लिए कोई पृथक बजट नहीं हैं क्यों िक यह कार्यालय शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं और कॉपीराइट कार्यालय के सम्पूर्ण कर्मचारियों को हम विभाग के कर्मचारियों के साथ रखा गया हैं जहां तक कॉपीराइट बोर्ड का संबंध हैं अध्यक्ष के लिए मानदेय एवं कार्यालय व्यय हो लिए अध्यक्ष के टी. ए./डी. ए. के लिए बोर्ड की बेठकों में शामिल होने के लिए सदस्यों को दिए जाने वाले मानदेय के लिए तथा आकरिसक व्यय के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 82,663 रु. की राशि खर्च की गई।

25 ऑर 26 नवम्बर, 1992 को भोपाल में आयोजित बांर्ड की बैठक पर कुल 10,194 रु. खर्च किए गए । बोर्ड के पास रखी गई 25 याचिकाओं में से 16 याचिकाओं पर निर्णय दें दिया गया।

124

Written Answers

ऋम संख्या	मामला संख्या	कब से लम्बित है	लंबित होने के कारण
1	60/85 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1985	मामला दो बार स्थगित हुआ—— प्रयमतः दोनों पक्षकारों की सहमति से दितीयत: सरकार द्वारा अवकाश घोपित करने के कारण ।
2	7/87 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1987	मामले को पूर्ण दस्तावेजो के अभाव मे बोर्ड के समक्ष सूचीयद्ध नहीं किया जा सका।
. 3	18/91 मध्य क्षत्र)	1991	दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार के भी उप - स्थित नहीं होने के कारण मामला स्थगित कर दिया गया ।
4	3/92 (मध्य क्षेत्र)	1992	याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों की लेखा वहियो की जांच करने के कारण मामला स्थगित ।
5	13/32 (पूर्वी क्षेत्र)	1992	पूर्ण दस्तावेजों के अभाव मे बोर्ड के समक्ष मामले को सूचीवद्ध नहीं किया जा सका।
6	9/93 (उत्तरी क्षेत्र)	1993	दोनो पक्षकारां द्वारा दस्तावजों को पूरा करने के लिये मामला स्थगित कर दिया गया।
7	1/94 (दक्षिणी क्षेत्र)	1994	वर्ष 1994 में कॉपीराइट वोर्ड की कोई बैठक नही हुई । पिछले बोर्ड का कार्यकाल दिनाक 31-3-94 को समाप्त हो गया था।
8	5/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	~बही-
9	6/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	- बही-
10	7/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	~वहीं वहीं
11	17/94 (पश्चिमी क्षेत्र)	1994	 वही

Conference of Education in Islamabad

RAMDAS AGARWAL: 1555. SHRI Will the Minister of HUMAN RESOURCE be pleased to state: DEVELOPMENT

- (a) Whether he visited Pakistan recently as Leader of the Indian Delegation to participate Commonweal h Education in the 12th Ministers, Conference held in Islamabad: as reported in the Hindustan Times dated 25th November, 1994;
- (b) If so, what was the agenda of the Conference; and
- (c) What was the outcome of discussions/ recommendations made at the Conference particularly on the "role of the State in Education?".

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT, OF EDUCA-AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) The Minister for Human Resource Development led a delegation to represent India at the 12th Conference of Commonwealth Education Ministers held at Islamabad on 27 November to 1 December 1994.

(b) The main theme of the Conference was "The Changing Role of the State in Education, Politics and Partnerships." The Agenda of the the Conference included discussions on the theme and Round tables on various main aspects of education.